सेनानी के आश्रित/ विकलांगजनों(केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनने पर)/ भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

**नोट-** आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वैबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र / आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

**12 -<u>चयन का आधार</u>:-** लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती नियमावली (रीति और प्रक्रिया) अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2015, में विहित प्रावधानों के अंतर्गत भर्ती से संबन्धित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को शासनादेश दिनांक 19 फरवरी, 2016 के अनुसार निम्नवत प्रसारित किया जा रहा है :-

**<u>राजस्व निरीक्षक (सामान्य चयन) परीक्षा-2016 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम</u>**

| चरण | विषय | प्रश्नों की संख्या | अंक | समयावधि |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम चरण | <u>प्रथम प्रश्न पत्र</u> | | | दो घण्टा तीस मिनट |
| | भाग–1– सामान्य बुद्धि परीक्षण | 25 | 50 | |
| | भाग–2– सामान्य ज्ञान | 50 | 100 | |
| | भाग–3–सामान्य विज्ञान / अंकगणित | 75 | 150 | |
| | योग– | 150 | 300 | |
| | <u>द्वितीय प्रश्न पत्र</u> | | | |
| | सामान्य हिन्दी | 25 | 50 | एक घण्टा |
| | योग– | 175 | 350 | |
| द्वितीय चरण | साक्षात्कार | – | 50 | |
| | कुल योग– | – | 400 | |

**<u>पाठ्यकम</u>**

**<u>प्रथम प्रश्न पत्र–</u>**

<u>भाग–1 सामान्य बुद्धि परीक्षण</u>

(1) युक्तिसंगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता।
(2) सामान्य मानसिक योग्यता–ऐसे प्रश्न जिनसे अभ्यर्थी की परिणाम परक अभिक्षमता की परख हो सके।
(3) सांख्यिकीय विश्लेषण–ग्राफ और डायग्राम, जिनसे अभ्यर्थियों की सांख्यिकीय, ग्राफकीय, डायग्राम सम्बन्धी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान सम्बन्धी परिणाम, निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके।

<u>भाग–2 सामान्य ज्ञान</u>

(1) कम्प्यूटर ज्ञान–कम्प्यूटर का परिचय, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर, कम्प्यूटर नेटवर्क, इन्टरनेट एवं ई–मेल।
(2) उ0प्र0 पर आधारित विशिष्ट प्रश्न–शिक्षा, संस्कृति कृषि, जनसंख्या, व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक प्रथायें, ललित कला,लोक कलाएं (गायन, संगीत, नाटक आदि विधाओं की सामान्य जानकारी) आदि।
(3) अन्तर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें सम्प्रेक्षण कौशल, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान भी समाहित होगा।
(4) सामान्य मानव व्यवहार–अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व, महिलाओं का सशक्तीकरण।
(5) भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन–भारतीय इतिहास के अन्तर्गत सामाजिक,आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों की सामान्य जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आन्दोलन,राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है ।
(6) भारत एवं विश्व भूगोल,भारत एवं विश्व का भौतिक,सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल– भारत के भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक,सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होगें। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी ।
(7) भारतीय राजनीति एवं शासन,संविधान,राजनीतिक व्यवस्था,पंचायती राज,लोकनीति एवं अधिकारित मुद्दे आदि–भारतीय राजनीति एवं शासन के अन्तर्गत देश के संविधान,पंचायतीराज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होगें ।
(8) भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास एवं गांधी विचारधारा–अभ्यर्थियों के जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरुप के ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा। बैंकिंग, बहीलेखन और लेखाशास्त्र आदि से संबंधी प्रश्न होगें।
(9) राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें–इसमें खेलकूद के प्रश्न भी सम्मिलित होगें
(10) भारतीय कृषि–भारत में कृषि, कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन के संबंध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी।

भाग–3 सामान्य विज्ञान तथा अंक गणित

(1) सामान्य विज्ञान–सामान्य विज्ञान(विज्ञान,जीव विज्ञान,रसायन,भौतिकी) के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित, विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होगें, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है,जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका संतुलित आहार, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन, विटामिन, डायरिया, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां एवं बचाव, एनीमिया, विभिन्न बीमारियों में भोज्य पदार्थ का महत्व,टीकाकरण का महत्व, जलचक, जलस्रोत के प्रकार, पेयजल गुणवत्ता के मानक,एक्यूफर, इलेक्टो मैगनेटिक रेजिस्टिविटी सर्वेक्षण आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगें।

(2) प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक– इसमें अंकगणित,बीजगणित एव रेखागणित से संबंधित प्रश्न होगें ।

द्वितीय प्रश्न पत्र

सामान्य हिन्दी

(1) अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे सम्बन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक।

(2) शासकीय, अर्द्धशासकीय, वैयक्तिक तथा व्यवसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित को सम्बोधित पत्र कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र सम्बन्धी प्रश्न।

(3) वर्ण एवं ध्वनि विचार: उच्चारण, लेखन, स्वर,व्यंजन, मात्रा–पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण।

(4) शब्द रचना: सन्धि एवं सन्धि विच्छेद,समास,उपसर्ग,प्रत्यय ।

(5) शब्द प्रकार: (क) तत्सत,अर्धतत्सम,तद्भव,देशज,विदेशी ।
(ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, किया, अव्यय(किया विशेषण,संबन्ध सूचक, विस्मयबोधक निपात)

(6) शब्द ज्ञान: पर्यायवाची,विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद ,वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली।

(7) शब्द शुद्वि ।

(8) व्याकरणिक कोटियॉं : परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य ।

(9) वाक्य रचना, प्रकार–सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्वि ।

(10) विराम चिन्हों का प्रयोग ।

(11) मुहावरें/लोकोक्तियॉं ।

(12) अनुवाद: समतुल्य शब्द चयन, वाक्यांश का अर्थ ।

(13) उ0प्र0 की मुख्य बोलियॉं तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियॉं।

(14) हिन्दी से अग्रेंजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद।

(15) हिन्दी भाषा/हिन्दी साहित्य का सामान्य ज्ञान।

**<u>नोट</u> -परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा।**

## 13- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश -

(1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण